

2025/375

सेवामें,

215/2025

प्रशासन गांवों के संग अधिनियम-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

उपखण्ड नावा जिला डी.ए.

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती वास्तु अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।

धारा:- पटवारी पटवार हल्का ठिकीयावाड़ा महोदय,

उपर्युक्त विषयान्वयित निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्धि है जिसका निवारण निम्नानुसार है

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अ-हरलाईन करें)	की जान वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
पटवार हल्का ¹ ठिकीयावाड़ा	(1) भेंवरलाल ² सुल्तकड्डम नारायण	(1) भेंवरलाल ³ दलकड्डम नारायण
राजस्व ग्राम <u>ब्राह्मिदा</u>	दि. 1/2 राहिन <u>SBG</u> शाखा <u>मारोठ</u> ।	दि. 1/2 राहिन <u>SBG</u> शाखा <u>मारोठ</u> ।
खता संख्या <u>75</u>		
खसरा संख्या <u>344</u>		
रकबा हेक्टेयर में <u>2.04</u>		

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नागान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमें आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशासा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत) :-

संलग्न वर्तमान जमाबंदी में SBG तहशाखा मारोठ के SBG दल मि. जमाना मारोठ शाखा मारोठ

नू.अ.निरीक्षक डी.ए. डी.ए. डी.ए.

तहसीलदार की टिप्पणी :-

हस्ताक्षर पटवारी 24.6.25
पटवारी म. प्र. ठिकीया कला
नह नावा

हस्ताक्षर म. प्र. ठिकीया कला
मारोठ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावा जिला डी.ए.
कमांक/राजस्व/धारा 136/2025/7 आदेश दिनांक- 25-06-2025

प्रार्थी भेंवरलाल निवासी ब्राह्मिदा के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू. अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावा/डी.ए. संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार NT मारोठ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्शन कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी डी.ए. डी.ए. डी.ए.
उपखण्ड अधिकारी
नावा (डीडवाना-कुचामन)

कमांक/राजस्व/धारा 136/2025/PDU/11

दिनांक:- 25.06.2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार NT मारोठ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी ठिकीयावाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक भेंवरलाल को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावा (डीडवाना-कुचामन)